

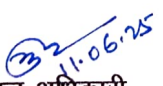
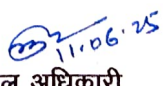
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 24/सन-2025- 26

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11.06.2025	-:आदेश:- यह विविध वाद अभिलेख सं०- 24/2025- 26 आवेदक मो० समशेर, पिता- जाकीर अली, साकिन- जरीसिंगा, थाना- परसन ओ० पी०, धनवार, जिला- गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 10, श्री नरेश कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 10, श्री कंचन कुमार ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा- जरीसिंगा, थाना नं०-243, खाता सं०-11, प्लॉट नं०-37 एवं अन्य, खरीदी रकवा-0.45 एकड़ भूमि रैयती खाते की है। खाता सं०- 11 का सर्वे खतियान छकु कहार पिता डमर कहार के नाम से दर्ज है। आवेदन में संलग्न तीन लगान रसीद की छायाप्रति, अनुसूची - 21 फॉर्म- 7 की छायाप्रति (जिसके अनुसार आवेदक के पूर्वज रुफ मियां वगैरह को उक्त खरीदगी भूमि 45 डी० केवाला नं०- 34278, वर्ष 1972 ई० द्वारा हासिल है) एवं शांतिपूर्ण दखल कब्जा होने तथा भूमि पर किसी प्रकार का विवाद न होने संबंधी शपथ पत्र संलग्न किया गया है एवं संलग्न कागजातों के आधार पर खाता सं०- 11, प्लॉट नं०- 37 एवं अन्य रकवा- 0.45 एकड़ भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने हेतु आवेदन के माध्यम से अनुरोध किया है। हल्का में उपलब्ध पंजी- ॥ क्षतिग्रस्त है। संलग्न शपथ पत्र के माध्यम से आवेदक ने शपथ किया है कि उक्त भूमि का जमाबंदी कायम करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में आपत्ति मान्य होगा। अन्त में प्रतिवेदित करते हैं कि संलग्न कागजातों के आधार पर अंचल अमीन का मापी संलग्न कर दखल- कब्जा सत्यापित करने के पश्चात नियमानुसार जमाबंदी कायम करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। संलग्न रसीद का पेज नं०- 30, भो०- 3 है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 10, श्री कंचन कुमार/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक, धनवार के द्वारा नक्शा सहित मापी-सह-दखल कब्जा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन अनुसार 0.45 एकड़ भूमि पर आवेदक दखलकार हैं। वादगत भूमि का ऑनलाईन पंजी- ॥ में जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 10, श्री कंचन कुमार/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मापी-सह- दखल-कब्जा संबंधित प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए लगान रसीद एवं शपथ पत्र सं०- 84, दिनांक- 21.05.2025 तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- जरीसिंगा/243 के ऑनलाईन पंजी-॥ में खाता सं०-11, प्लॉट नं०- 37 एवं अन्य रकवा-0.45 एकड़ भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	